नियमावली

1. संस्था का नाम : उर्मिला ग्रामीण शिक्षण संस्थान

2. संस्था का पता : ग्रा0–गेहर, पो0–कोलालाल खां, तह0–बीकापुर, जिला–फैजाबाद (उ0प्र0)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

4. संस्था की सदस्यता अथवा सदस्यों के वर्ग :–

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को 2000/– रूपया या इतने ही मूल्य की चल या अचल संपत्ति संस्था को प्रदान करे। वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को 501/– रूपया प्रति वर्ष वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य कहलायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति :

1. किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
2. किसी सदस्य के पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. किसी सदस्य को न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
4. दिवालिया हो जाने पर।
5. नियमावली के धारा 4 के खण्ड ख में वर्णित निर्धारित सदस्यता शुल्क लगातार तीन वर्षो तक न जमा करने पर सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।
6. लगातार तीन बैठको में बिना उचित कारण एवं सूचना के अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
7. त्यागपत्र देने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
8. किसी सदस्य को संस्था विरोधी कार्यो में लिप्त पाये जाने पर संस्था के प्रबन्धक की संस्तुति पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

6. संस्था के अंग : (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा :–

गठन : संस्थापक सदस्यों एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी और विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है। सभी बैठके प्रबन्धक द्वारा बुलायी जायेगी।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना बैठक के दिनांक से कम से कम 10 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना बैठक के दिनांक से कम से कम 3 दिन पूर्व लिखित रूप से सभी सदस्यों को दी जायेगी। सूचनायें अण्डर पोस्टिंग सर्टीफिकेट तथा तार व विशेष मैसेंजर से भी दी जा सकती है।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ0प्र0)

शेष ...... पृष्ठ (२) पर

प्रबन्धक
उर्मिला ग्रामीण शिक्षण संस्थान
कोटसराय, अयोध्या

प्रधानाचार्य
उर्मिल इच्छा कालेज ऑफ फार्मे...
पौरहरा कुटी नन्सा बाजार अयोध्या